हाईकोर्ट परिसर को बम से उडाने की धमकी, सुनवाई हुई बाधित

धमकी भरे ई-मेल के बाद हाईकोर्ट परिसर खाली करवाया गया

राजस्थान हाईकोर्ट परिसर को बम से उडाने की धमकी भरा ई-मेल मिलने के बाद पुलिस, डॉग स्कवॉड और बम निरोधक दस्ते ने चप्पे-चप्पे की तलाशी ली।

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट परिसर को बम से उडाने को लेकर शुक्रवार को हाईकोर्ट प्रशासन को धमकी भरा ई-मेल मिला। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के पास सुबह 10.15 बजे आए इस मेल की जानकारी मिलते ही उच्चाधिकारियों को जानकारी दी गई और पूरे हाईकोर्ट परिसर को खाली करवाया गया। इस दौरान प्रकरणों से सुनवाई टालते हुए न्यायाधीशों को पास ही स्थिति राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के भवन में पहुंचाया गया।

- पुलिस, डॉग स्क्वॉड व बम निरोधक दस्ते ने चप्पे-चप्पे की जांच की
- उच्च न्यायालय में दोपहर 2 बजे बाद वापस शुरू हुई केसों की सुनवाई

ईमेल में तमिलनाडु के थिरुपरनकुंद्रम मामले का जिक्र करते हुए लिखा गया कि भाजपा शासित राज्यों की कोर्ट में ऐसे ही धमाके होंगे। बम की सूचना मिलते ही पुलिस के बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड ने पूरे हाईकोर्ट परिसर के चप्पे-चप्पे की जांच की।

वहीं हाईकोर्ट परिसर से न्यायिक कर्मचारियों, अधिवक्ताओं व पक्षकारों को बाहर निकाला, लेकिन जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के पूर्व अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा ने कहा है कि हाईकोर्ट परिसर की सुरक्षा को और मजबूत किया जाना चाहिए।

पुलिस व सुरक्षा एजेंसियों की ओर से कोर्ट परिसर की पूरी तलाशी लेने के बाद क्लीन चिट दी गई। इसके बाद हाईकोर्ट में दोपहर दो बजे बाद से केसों की सुनवाई शुरू हुई। हालांकि सुबह बम की धमकी मिलने के चलते अदालतों में सुनवाई नहीं हुई और हजारों प्रकरण प्रभावित हुए। हाईकोर्ट के अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने कहा कि एक महीने में ही दूसरी बार हाईकोर्ट परिसर को बम से उडाने की धमकी मिलना गंभीर है। ऐसे में हाईकोर्ट प्रशासन व पुलिस प्रशासन को इन दोनों ईमेल की जांच करवानी चाहिए कि ये कहां से आ रहे हैं।

असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती-2025 का रास्ता साफ

हाईकोर्ट ने 7 दिसंबर को प्रस्तावित परीक्षा को हरी झंडी दी

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती-2025 की 7 दिसंबर को प्रस्तावित परीक्षा को हरी झंडी देते हुए परीक्षा आयोजित करने के संबंध में एकलपीठ की ओर से लगाई रोक के आदेश को निरस्त कर दिया है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस रवि चिरानिया की खंडपीठ ने यह आदेश आरपीएससी की तीन अपील याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। खंडपीठ ने अपने आदेश में माना कि भर्ती की लिखित परीक्षा में करीब 92 हजार अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं, जबकि सिर्फ छह अभ्यर्थियों ने ही सिलेबस अपलोड को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है। खंडपीठ ने आईटी की रिपोर्ट और नोटशीट से साबित है कि आयोग की वेबसाइट पर भर्ती विज्ञापन जारी करने के बाद सिलेबस अपलोड किया गया था।

अपील में महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद और अधिवक्ता एमएफ बेग ने बताया कि पहले साल 2024 में भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था और आयोग की वेबसाइट पर 26 मार्च को सिलेबस अपलोड किया गया था। वहीं बाद में इस भर्ती को रद्द कर नियमों में बदलाव कर गत 18 सितंबर को वापस भर्ती निकाली गई थी। भर्ती को लेकर तय किया गया कि पूर्व के सिलेबस को ही इसमें लागू किया जाएगा। ऐसे में उस सिलेबस को ही आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व 8 अक्टूबर को अपलोड किया गया। अपील में कहा गया भर्ती विज्ञापन में ही प्रावधान किया गया था कि अभ्यर्थी नवीनतम जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट को देखे और उन्हें अलग से कोई सूचना नहीं भेजी जाएगी। इसके अलावा आईटी विभाग के समक्ष अधिकारी की रिपोर्ट और संबंधित नोटशीट से साबित है कि सिलेबस वेबसाइट पर अपलोड है। अपील में कहा गया कि एकलपीठ में अभ्यर्थियों ने ही अपनी याचिका में माना है कि सिलेबस बहुत विस्तृत है। जिससे साबित है कि उन्हें इसकी विषय वस्तु का ज्ञान है। अपील में एकलपीठ के रोक के आदेश पर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा गया कि एकलपीठ ने आयोग की नोट शीट को बाद में एडिट करने और कोचिंग संचालकों की मिलीभगत की बात कही है, जबकि याचिका में इस संबंध में कोई बात नहीं कही गई थी। इसके अलावा भर्ती को लेकर सारी तैयारी हो चुकी है। सातों संभाग में परीक्षा केन्द्र सहित परिवीक्षक तक तय हो चुके हैं। दूसरी ओर एकलपीठ के अभ्यर्थियों की ओर से कहा गया कि आयोग हर भर्ती में प्रेस नोट के साथ सिलेबस जारी करता है। अभ्यर्थियों की ओर से आयोग की वेबसाइट खोलकर बताया गया कि अभी भी सिलेबस अपलोड नहीं है, लेकिन इस दौरान महाधिवक्ता ने वेबसाइट पर सिलेबस दिखा दिया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने एकलपीठ के आदेश को रद्द कर दिया है।

सैनिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए सैनिक कल्याण में दें योगदान : भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सशस्त्र सेना झण्डा दिवस (7 दिसम्बर) के उपलक्ष्य में शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से प्रतीकात्मक झण्डा (बैज) ग्रहण किया।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सशस्त्र सेना झण्डा दिवस (7 दिसम्बर) के उपलक्ष्य में शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से प्रतीकात्मक झण्डा (बैज) ग्रहण किया। मुख्यमंत्री ने सैनिकों एवं उनके परिवारों के कल्याण के लिए ऑनलाइन अंशदान भी किया।

- मुख्यमंत्री ने सैनिकों एवं उनके परिवारों के कल्याण के लिए ऑनलाइन अंशदान भी किया

इस अवसर पर शर्मा ने सशस्त्र सेना झण्डा दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सशस्त्र सेनाओं के थल सैनिकों, नौसैनिकों एवं वायु सैनिकों के सम्मान स्वरूप यह दिवस मनाया जाता है।

यह दिवस देश की अखण्डता एवं एकता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले बहादुर सैनिकों के प्रति कृतज्ञता दिखाने का दिन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सैनिकों के समर्पण, बलिदान और देश सेवा के प्रति साधुवाद प्रकट करना हम सबका कर्तव्य है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आ ान किया कि वीर सैनिकों के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए उनके कल्याण के लिए सभी खुले हाथ से अपना योगदान देने का संकल्प लें। इस अवसर पर सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर वीरेन्द्र सिंह राठौड़ सहित मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी उपस्थित रहे।

महिलाओं को राजकॉप सिटीजन एप में एक क्लिक पर मिल रही पुलिस मदद

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में महिलाओं को मिल रहा सुरक्षित एवं भयमुक्त राजस्थान

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार महिलाओं को सुरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण देने के लिए प्रतिबद्ध है। महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता मानते हुए प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। इसी क्रम में सरकार द्वारा शुरू किया गया राजकॉप सिटिजन ऐप महिलाओं को तुरंत सहायता पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहा है। ऐप के माध्यम से पीडित महिलाओं को 'ऑन द स्पॉट' त्वरित सहायता मिल रही है। इस ऐप की खासियत यह है कि पुलिस के पीड़ित तक पहुंचने का औसत रेस्पॉन्स टाइम काफी कम है। राज्य सरकार द्वारा की गई इस पहल से जहां महिला अपराधों में कमी आई है, वहीं आमजन तक कानून व्यवस्था की सुलभ पहुंच सुनिश्चित हुई है।

- राजकॉप सिटिजन ऐप में पुलिस का रेस्पॉन्स टाइम कम होने से महिला अपराधों में आई कमी
- इस एप के माध्यम से अब तक 29 हजार 742 प्रकरण आए हैं, जिनमें से 29 हजार 737 मामलों का निस्तारण किया जा चुका है।

राजकॉप सिटिजन ऐप को उपयोग में बहुत ही सरल बनाया गया है। ऐप के माध्यम से महिलाओं को आपातकालीन एवं गैर आपातकालीन सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस ऐप पर जाकर जब 'नीड हेल्प' बटन पर क्लिक किया जाता है, तो उसका एक नोटिफिकेशन 1090 के कंट्रोलरूम में आ जाता है। कंट्रोलरूम द्वारा पीडिता को फोन/मैसेज कर, समस्या की जानकारी लेकर तथा पीड़िता की लाइव लोकेशन ट्रेस कर तुरंत पुलिस मदद पहुंचाई जाती है। यह ऐप महिला छेड़छाड़ एवं अन्य महिला अपराध के प्रकरणों में मददगार साबित हो रही है। इस ऐप के माध्यम से अब तक 29 हजार 742 प्रकरण आए हैं, जिनमें से 29 हजार 737 मामलों का निस्तारण किया जा चुका है।

राज्य सरकार इस आधी आबादी की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। राज्य में चयनित पुलिस थानों में महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। इन केन्द्रों पर पीडित महिलाओं को आवश्यक सहायता व परामर्श प्रदान किया जा रहा है। इसी तरह राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के साथ होने वाली छेडछाड की घटनाओं की रोकथाम के लिए राज्य में 500 'कालिका पेट्रोलिंग यूनिट' के गठन किया गया है। महिला हेल्पलाईन-181 के माध्यम से भी महिलाओं को आवश्यक तथा त्वरित सहायता प्रदान की जा रही है। महिला सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एंटी रोमियो स्कवॉड का गठन किया गया है। साथ ही, 1 हजार 24 पुलिस थानों में महिला डेस्क की स्थापना कर महिला पुलिसकर्मी की नियुक्ति, वूमेन हेल्प डेस्क, रानी लक्ष्मी बाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के तहत बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण तथा लाडली सुरक्षा योजना के तहत सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे की स्थापना जैसे कार्य किए गए हैं।

भंवरलाल शर्मा की जन्म शताब्दी पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम

जयपुर। भाजपा विधायक गोपाल शर्मा ने कहा कि "भंवरजी भाई साहब राजनीति में खरा सोना थे। उन पर कभी कोई दाग नहीं लगा।

वे ऐसे नेता थे जिन्होंने कभी अपने परिवार को राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया। मंत्री पद पर रहते हुए बंगला-गाड़ी और पीएसओ तक नही लिया और सामान्य नागरिक के रूप में जन सेवा की।"

विधायक गोपाल शर्मा ने यह विचार भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री रहे स्वर्गीय भंवरलाल शर्मा की जन्म शताब्दी पर शुक्रवार को चौगान स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में व्यक्त किए। इस दौरान कई अन्य भाजपा नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भंवर जी भाई साहब की सादगी, ईमानदारी और उनके जीवन के कई संस्मरण सुनाए।

सांसद मंजू शर्मा ने कहा कि श्रद्धेय पिताजी का आदर्श जीवन, विराट व्यक्तित्व और महान जीवन-मूल्य ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। मैं उनके बताए सिद्धांतों पर चलकर जनसेवा के पथ पर चल रही हूं और सदैव चलूंगी।

डीएलबी निदेशक आकर बताए सरकार का रुख : हाईकोर्ट

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने बिना आरोप पत्र और जांच रिपोर्ट के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में अंकित कर उसे बर्खास्त करने से जुडे मामले में डीएलबी निदेशक को 8 दिसंबर को पेश होने के आदेश दिए हैं। अदालत ने निदेशक से पूछा है कि कर्मचारी को बर्खास्त करने से जुडे मामले में अदालत ने गत 10 अक्टूबर को उनका रुख पूछा था, लेकिन अभी तक अदालत को इस संबंध में जानकारी क्यों नहीं दी गई है। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश टीकम सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता अजमेर नगर निगम में साल 2018 में सफाई कर्मचारी के पद पर नियुक्त हुआ था। वहीं साल 2020 में उसे स्थाई करते हुए साल 2021 में महवा नगरपालिका में तबादला कर दिया गया। याचिका में कहा गया कि नगर पालिका के तत्कालीन ईओ सुरेन्द्र कुमार मीणा ने द्वेषता के चलते साल 2024 में याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया।

याचिका में कहा गया कि इसके बाद याचिकाकर्ता को कार्यालय में प्रवेश नहीं करने दिया गया। वहीं बाद में गत दिनों उसे आरटीआई के जरिए जानकारी मिली की उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। याचिका में कहा गया कि उसे बर्खास्त करने से पहले न तो कोई आरोप पत्र दिया गया और ना ही जांच अधिकारी नियुक्त किया गया और ना ही कोई जांच रिपोर्ट अस्तित्व में है। इसके बावजूद उसे सिर्फ सेवा पुस्तिका में एंट्री कर सेवा से हटाया गया है। अदालत ने मामले में गत 10 अक्टूबर को राज्य सरकार का रुख स्पष्ट करने को कहा था, लेकिन अदालत को कोई जानकारी नहीं दी गई। इस पर अदालत ने डीएलबी निदेशक को तलब किया है।

राजस्थान विधानसभा में संसद की तर्ज पर बनेगा सेन्ट्रल हॉल : देवनानी

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि विधान सभा में संसद की तर्ज पर सेन्ट्रल हॉल बनेगा। स्पीकर देवनानी ने विधानसभा भवन में सेन्ट्रल हॉल के लिए उचित स्थान चिन्हित किये जाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। देवनानी ने बताया कि यह सेन्ट्रल हॉल बहुपयोगी होगा।

- विधान सभा के पंचम तल पर बनेगा ऑडिटोरियम
- भवन की सुन्दरता के लिए होंगे नियमित प्रयास

अध्यक्ष देवनानी ने बताया कि सेन्ट्रल हॉल को महापुरुषों के थ्री-डी चित्रों से सुसज्जित किया जायेगा। सेन्ट्रल हॉल में राजस्थान की कला, संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व की पेन्टिंग्स भी लगाई जायेगी। हॉल का उपयोग विधान सभा सत्रकाल के दौरान विधायकगण, विभागीय अधिकारीगण और आगन्तुक अतिथिगण की चर्चा और जलपान के लिए होगा। देवनानी ने राजस्थान विधान सभा सचिवालय और सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में सेन्ट्रल हॉल के लिए रूपरेखा और परिकल्पना पर चर्चा की। विधान सभा अध्यक्ष देवनानी ने बैठक में विधान सभा भवन के पंचम तल पर ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य आरम्भ करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। देवनानी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत ड्रॉईंग का अवलोकन किया और इस कार्य की अनुमानित लागत व निर्माण समयावधि पर चर्चा की। देवनानी ने इस कार्य को अधिकतम एक वर्ष में पूर्ण करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। देवनानी ने कहा कि इस ऑडिटोरियम का उपयोग युवा संसद, राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ द्वारा आयोजित कार्यशाला, सेमिनार, बैठक और संगोष्ठियों के साथ पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के लिए किया जायेगा। देवनानी ने बताया कि भविष्य में यदि विधान परिषद का निर्माण होता है तो यह ऑडिटोरियम उसके लिए उपयोग में लिया जा सकेगा।

स्पीकर देवनानी ने कहा कि राजस्थान विधान सभा का भवन भारत के सबसे आधुनिक विधानमंडल परिसरों में से एक है। भवन के बाहरी हिस्से में राजस्थान की प्रसिद्ध पारंपरिक विशेषताओं वाले जोधपुर और बंसी पहाड़पुर पत्थर में झरोखे, छतरियां, कमानी, बारादरी, मेहराब, तोड़ियां आदि लगी हुई हैं।

आंतरिक प्रवेश कक्षों की दीवारों और छतों को भी जयपुर, शेखावाटी, मारवाड़ और मेवाड़ की पारंपरिक कलाओं से सजाया गया है।

डीजीपी ने पुलिस भर्ती तैयारियों की समीक्षा की

जयपुर। राजस्थान पुलिस की भर्ती प्रक्रिया को लेकर पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया से जुड़े सभी जिलों के अधिकारियों से की गई तैयारियों के बारे में जानकारी ली और महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी, सुरक्षित और व्यवस्थित होनी चाहिए।डीजीपी शर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अभ्यर्थियों को भर्ती से जुडी सभी प्रक्रियाओं की पहले से ही उचित ब्रीफिंग दी जाए, ताकि किसी तरह की भ्रम की स्थिति न बने। उन्होंने कहा कि भर्ती के दौरान मेडिकल टीम की आवश्यक उपकरणों व दवाईयों के साथ मौके पर मौजूदगी सुनिश्चित की जाए।

जिससे भर्ती के दौरान किसी भी स्वास्थ्य आपात स्थिति का तत्काल उपचार हो सके। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि महिला उम्मीदवारों की सुविधा के लिए महिला चिकित्सक भी अनिवार्य रूप से मौजूद रहें।

मंत्री अविनाश गहलोत ने ली अफसरों की बैठक

जयपुर (कासं)। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्री अविनाश गहलोत ने शुक्रवार को देवनारायण योजना के अंतर्गत अति पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की। विगत बैठकों में उठाए गए विषयों की तेजी से क्रियान्विति पर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष और प्रतिनिधिगण संतुष्ट नजर आए। विभाग के मुख्यालय अंबेडकर भवन के कांफ्रेंस हॉल में आयोजित बैठक में कॉलेज शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, सार्वजनिक निर्माण विभाग, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के आला अधिकारी उपस्थित रहे। गहलोत ने गत बैठक में दिए निर्देशों की प्रगति से समिति को अवगत करवाया। इस दौरान देवनारायण छात्रवृति योजना-उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना, देवनारायण छात्रवृत्ति योजना-पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना, देवनारायण गुरुकुल योजना, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना, देवनारायण आदर्श छात्रावास संचालन, देवनारायण आवासीय विद्यालय संचालन, देवनारायण बालक एवं बालिका महाविद्यालय संचालन, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन, छात्रावासों का नियमित निरीक्षण देवनारायण योजना के अंतर्गत स्वीकृत मेडिकल मोबाइल यूनिट, योजना के अंतर्गत संचालित छात्रावासों आवासीय विद्यालयों की मरम्मत सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं में किए जा रहे कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय सिंह बैंसला, भूरा भगत, मोहर सिंह माल, अतर सिंह, गिरिराज बारां, विनोद कुमार, अतिरिक्त निदेशक ओमप्रकाश मीणा, निजी सचिव रोहित कुमार, उप निदेशक श्री जेपी बैरवा सहित संघर्ष समिति के प्रतिनिधि एवं संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटित भूखण्डों की उपयोगिता बढ़ाने के लिए रीको प्रशासन ने बदले नियम

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा रही कि "राजस्थान एक नया और आधुनिक बिजनेस मॉडल अपनाए, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नए आयाम स्थापित हों तथा उद्यिमयों को उद्योग एवं व्यवसाय स्थापित करने में आसानी हो।" मुख्यमंत्री की इसी सोच के अनुरूप समय-समय पर रीको प्रशासन द्वारा नीतियों एवं नियमों में आवश्यक सुधार किए जा रहे हैं, जिससे राज्य के आर्थिक विकास को गति मिले एवं रोजगार के नए अवसर सृजित हों।

रीको प्रशासन ने औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटित भूखण्डों की उपयोगिता को और अधिक व्यावहारिक, पारदर्शी एवं समयानुकूल बनाने हेतु रीको भू-निपटान नियम, 1979 के नियम 20 (सी) में आवश्यक बदलाव किये हैं। अब रीको औद्योगिक क्षेत्रों में पट्टाधारी एक अनुमत उपयोग से दूसरे अनुमत उपयोग में निर्धारित शुल्क पर परिवर्तन की स्वीकृति प्राप्त कर सकेंगे। इस निर्णय से उद्यिमयों को अपनी आवश्यकतानुसार नई गतिविधियां प्रारम्भ करने में आसानी होगी तथा भूखण्डों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा।

- 26 नवंबर को पोर्टल खुलने के बाद से अब तक 61 आवेदन होटल, मिक्स्ड यूज, रेजीडेंशियल, आईटी, इंस्टीट्यूशनल और हैल्थ केयर गतिविधियों के परिवर्तन के प्राप्त हुए

इस कदम से जहां एक ओर मैन्युफैक्चरिंग, कॉमर्शियल, सर्विस, आईटी, हेल्थकेयर, होटल, मिक्स्ड यूज, रेजीडेंशियल जैसे क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होगा वहीं दूसरी तरफ औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को आवश्यक सपोर्ट सर्विसेज भी आसानी से उसी क्षेत्र में मिलेंगी।

रीको ने इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल 26 नवंबर से खोल दिया है। नियम 20(सी) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का निस्तारण "फर्स्ट कम फर्स्ट आउट" के सिद्धांत पर किया जाएगा। पॉर्टल खुलने के बाद अब तक विभिन्न जिलों से 61 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें होटल, मिक्स्ड यूज, रेजीडेंशियल, आईटी, इंस्टीट्यूशनल, हेल्थ केयर आदि गतिविधियों हेतु परिवर्तन के आवेदन शामिल हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि 2019 से इस प्रकार की आवश्यक अनुमति दिया जाना अकारण बंद किए जाने के कारण इस क्षेत्र में व्यवस्था परिवर्तन के लिए लगातार मांग आ रही थी।

रीको की इस पहल से उद्योगों एवं व्यवसाय की स्थापना एवं संचालन सुगम होगा, जिससे न केवल आवंटियों को लाभ होगा बल्कि राज्य सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी और प्रदेश में विकास को नई दिशा तथा युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिल सकेंगे।

'अभियोजन वापसी की अर्जी सार्वजनिक हित में नहीं थी, आरोपियों पर केस चलना जरूरी'

प्रदेश के चर्चित एकल पट्टा प्रकरण में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब पेश किया

जयपुर (कासं)। प्रदेश के चर्चित एकल पट्टा प्रकरण में राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट को कहा गया कि ट्रायल कोर्ट में 19 जनवरी 2021 को आरोपियों के खिलाफ अभियोजन वापसी की अर्जी सार्वजनिक हित में नहीं थी और केस के तथ्यों का मूल्यांकन किए बिना ही दायर की थी। ऐसे में अब राज्य सरकार इस अर्जी को वापस लेना चाहती है। इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा कि वह इस संबंध में अपना प्रार्थना पत्र रजिस्ट्री विंग में दायर करें और उसकी कॉपी आरोपी पक्ष को दी जाए। वहीं अदालत ने मामले की आगामी सुनवाई 7 जनवरी 2026 को रखी है। एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा ने यह आदेश वीसी के जरिए जोधपुर से मामले में सुनवाई करते हुए दिए।

- अदालत ने मामले की आगामी सुनवाई 7 जनवरी 2026 को तय की है

मामले में पूर्व आईएएस जीएस संधू सहित अन्य की रिवीजन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान एएसजी एसवी राजू व एएजी शिवमंगल शर्मा ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ पूर्व में दी गई अभियोजन वापसी बिना तथ्यों पर ही दी थी। यह लोकहित में नहीं थी। ऐसे में आरोपियों के खिलाफ राज्य सरकार केस चलाना चाहती है।

इन रिवीजन याचिकाओं में संधू व अन्य ने ट्रायल कोर्ट के 26 नवंबर 2021 के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें कोर्ट ने राज्य सरकार का अभियोजन वापसी की अर्जी खारिज कर दी थी।